



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 935-

राँची : 14/9/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गुमला।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

1. इस कार्यालय का पत्रांक 731 दिनांक 17.07.2023

2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 1837 दिनांक 04.09.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयक प्रस्ताव सम्यक समीक्षोपरांत इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुश्रवण में वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साइट खनन हेतु 7.52 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में safety zone एरिया को सम्मिलित कर समेकित संशोधित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने के लिए EDS Raised किया गया है।

उपरोक्त EDS के क्रम में प्रासंगिक पत्र द्वारा मात्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं वचनबद्धता की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

अतएव विषयक प्रस्ताव का मूल प्रति पॉच प्रतियों वापस करते हुए अनुरोध है कि समेकित संशोधित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाई कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

14/9/23  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।